न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

पीठासीन अधिकारी :– मुनेश कुमारी, आर0ए0एस0
पत्रावली सं :: 105/2016/दावा

भंवरी देवी पत्नी श्री हरदेवाराम जाति मीणा नि0 सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद आनन्द नगर तहसील व जिला सीकर राज0।

– वादिया,

बनाम

1. माली देवी पत्नी स्व0 रामदेवाराम।
2. राजकुमार पुत्र स्व0 काना।
3. सुरज्ञान पत्नी स्व0 बंशी।
4. प्रकाश पुत्र स्व0 बंशी।
5. किशोर पुत्र स्व0 बंशी।
6. काली पुत्री स्व0 हमीरा।
7. मंजू पुत्री स्व0 हमीरा।
8. बाबूलाल पुत्र स्व0 काना।
9. गणेश पुत्र स्व0 काना।
10. मुनिया पुत्री स्व0 काना।
11. हरदेवाराम पुत्र स्व0 दानाराम।
12. पंजाब नेशनल बैंक, शााखा कृषि उपज मंडी समिति सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. उप पंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर।
14. पटवारी, प0ह0 सिहोट बडऋ तहसील धोद।
15. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर राज0

– प्रतिवादीगण,

उपस्थित :– 1. श्री नोपाराम जांगिड़, वकील वादी की ओर से।
2. श्री भगवान सिंह, प्रति0सं0 1 ता 10 की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 30.05.2024

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 34 रकबा 1.5500 है0 ख0नं0 35 रकबा 1.02 है0 एंव ख0नं0 36 रकबा 1.8400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.45 है0 पुराने ख0नं0 20 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा अवस्थित है, जो संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियां है, जिसमें वादिया का हिस्सा 2.00 है0

एंव शेष हिस्सा 2.45 है0 में वादिया के पति प्रति0सं0 11 का 1.10 है0 हिस्सा है किन्तु वादिया के पति के हिस्सा का अंकन राजस्व रिकार्ड में डिकी दिनांक 11.10.2007 की पालना में अभी तक नहीं हुआ। उक्त कृषि भूमियों का विधिवत बंटवारा न होने के कारण से प्रति0सं0 1 ता 10 अपने हिस्सा से अधिक भूमि की काश्त करने की कुचेष्टा में रहते है व वादिया व प्रति0सं0 11 के कब्जे व हिस्सा की भूमि की काश्त में बाधा पहुंचाते है। वादिया द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 9 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद डिकी करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 10 व 11 जरिये वकील उपस्थित आये, तथा प्रति0सं0 12 से 15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रति0सं0 1 ता 10 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर मद सं0 1 कोविवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की स्वीकार कर शेष कथन बिना आधार के होने से अस्वीकार किया है। मद सं0 2 स्वीकार किया है। मद सं0 3,4 गलत होने से अस्वीकार किया है। मद स 5 आंशिक रूप से स्वीकार की है। मद सं0 6 स्वीकार की है। मद सं0 7 व 8 अस्वीकार की है। अतिरिक्त कथन में विवादित भूमियां उनके पूर्वज काना की खातेदारी कब्जे अधिकार की भूमियां रही है तथा कानाराम की मृत्यु के बाद विरासत का ना0क0 उनके नाम भरा गया तब से लेकर अब तक उक्त कृषि भूमि ख0नं0 34,35,36 का कब्जा काश्त उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे वादी व प्रति0सं0 11 का कोई लेना देना कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादिनी के पति ने पुराना ख0नं0 20 में से 8 बीघा का विक्रय पत्र फर्जी नुमाईशी बिना प्रतिफल व कब्जे के अपनी पत्नी के नाम 27.04.1976 को पंजीकृत करवा लिया उक्त विक्रय फर्जी होने के कारण वादिनी व प्रति0सं0 11 ने काना के जीवनकाल में दर्शित नहीं किया तथा काना की मृत्यु के भी 10 वर्ष बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिना किसी साक्ष्य व जांच के वादिनी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र कृषि भूमि ख0नं0 20 का होने के बावजूद प्रति0सं0 1 ता 10 के खातेदारी कब्जे की भूमि ख0नं0 34, 35, 36 रकबा 4.45 है0 में से 2.00 है0 का ना0करण सं0 133 भर दिया गया जो अवैधानिक बिना कब्जा काश्त के व प्रतिफल के होने से निरस्त किया जाकर प्रति0सं0 1 ता 10 कृषि भूमि ख0नं0 34, 35, 36 के पूर्ववत खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम रखने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी के वाद को खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण वादिनी के नाम से भरा गया ना0क0 अवैधानिक गलत बिना आधार के होने से निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को कृषि भूमि ख0नं0 34, 35, 36 रकबा 4.45 है0 अवस्थित ग्राम सिहोट बड़ी संपूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

वादिया का वाद दिनांक 07.09.21 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम बाबत साक्ष्य प्रतिवादी में लिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य में शपथ–पत्र किशोर सिंह पुत्र स्व0 बंशी नि0 सिहोट बड़ तहसील धोद,सीकर पेश किया।

सहायक अधीक्षक (द्वितीय) सीकर

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई व मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इससे यह जाहिर है कि प्रश्नगत कृषि भूमियां ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 34 रकबा 1.5500 है0 ख0नं0 35 रकबा 1.02 है0 एंव ख0नं0 36 रकबा 1.8400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.45 है0 पुराने ख0नं0 20 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा अवस्थित है, जो संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियां है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर विवादित भूमियां उनके पूर्वज काना की खातेदारी कब्जे अधिकार की भूमियां रही है तथा कानाराम की मृत्यु के बाद विरासत का ना0क0 उनके नाम भरा गया तब से लेकर अब तक उक्त कृषि भूमि ख0नं0 34,35,36 का कब्जा काश्त उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे वादी व प्रति0सं0 11 का कोई लेना देना कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादिनी के पति ने पुराना ख0नं0 20 में से 8 बीघा का विक्रय पत्र फर्जी नुमाईशी बिना प्रतिफल व कब्जे के अपनी पत्नी के नाम 27.04.1976 को पंजीकृत करवा लिया उक्त विक्रय फर्जी होने के कारण वादिनी व प्रति0सं0 11 ने काना के जीवनकाल में दर्शित नहीं किया तथा काना की मृत्यु के भी 10 वर्ष बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिना किसी साक्ष्य व जांच के वादिनी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र कृषि भूमि ख0नं0 20 का होने के बावजूद प्रति0सं0 1 ता 10 के खातेदारी कब्जे की भूमि ख0नं0 34, 35, 36 रकबा 4.45 है0 में से 2.00 है0 का ना0करण सं0 133 भर दिया गया जो अवैधानिक बिना कब्जा काश्त के व प्रतिफल के होने से निरस्त किया जाकर प्रति0सं0 1 ता 10 कृषि भूमि ख0नं0 34, 35, 36 के पूर्ववत खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करने हेतु काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी के वाद को खारिज हेतु निवेदन किया गया है। चूंकि वादिया का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी के खारिज हो चुका है। प्रति0सं0 1 ता 10 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर उनके पूर्वज काना द्वारा भंवरी के पक्ष में ख0नं0 20 में से 8 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.04.1976 से किये जाने पर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ना0करण सं0 133 निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को कृषि भूमि ख0नं0 34, 35, 36 रकबा 4.45 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया है। परन्त उनके द्वारा अपने काउन्टर क्लेम को सिद्ध करने में कोई रिकॉर्डेड, ठोस प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रति0सं0 1 ता 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

निर्णय आज दिनांक 30.0 .2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर